

कछुओं की तस्करी करने वाले तीन तस्कर गिरफ्तार

चार लाख रुपये कीमत के चार कुंटल जिंदा कछुए व एक पिकअप वाहन बरामद

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव एवं क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मांखी पुलिस द्वारा तीन कछुआ तस्करों को चार कुन्टल जिंदा कछुए व एक पिकअप वाहन बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 30.11.2022 को थानाध्यक्ष महोदय श्री रामआसरे चौधरी मय उ०नि० कल्लूराम यादव का० जयपाल सिंह, का० गजेन्द्र सिंह, का० हरित डिल्लो, का० कपिल कुमार, का० सतेन्द्र सिंह, का० मनोज कुमार द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर



कस्बा चकलवंशी की तरफ से उन्नाव की ओर आ रही पिकअप वाहन संख्या UP 36 T 6988 को रोककर कर चेक किया गया तो पिकअप में लदी 08 बोरियों में करीब 04 कुन्टल जिंदा कछुआ बरामद हुए जिसके आधार पर पिकअप सवार अभियुक्तगण 1. पप्पू पुत्र नन्हे उम्र करीब 32 वर्ष 2. विनोद पुत्र हजारी उम्र करीब 37 वर्ष 3. बल्लू पुत्र नन्हे उम्र करीब 36 वर्ष नि०गण ग्राम पकडी थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया गया। बरामद माल की कीमत करीब 04 लाख रुपये (4,00,000/-) है। इस सम्बन्ध में थाना मांखी पर मु०अ०सं० 326/22 धारा 9/39/49/50 ग / 51 वन जीव संरक्षण अधि० 1972 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. पप्पू पुत्र नन्हे उम्र करीब 32 वर्ष नि० ग्राम पकडी थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर
2. विनोद पुत्र हजारी उम्र करीब 37 वर्ष नि० ग्राम पकडी थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर
3. बल्लू पुत्र नन्हे उम्र करीब 36 वर्ष नि० ग्राम पकडी थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर

बरामदगी-

1. अदद पिकअप सं० UP 36 T 6988
2. 08 बोरियो में 04 कुन्तल जिंदा कछुए

अभि० विनोद पुत्र हजारी का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 433/22 धारा 34/447/484/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. श्री रामआसरे चौधरी
2. उ०नि० कल्लूराम यादव
3. का० जयपाल सिंह
4. का० गजेन्द्र सिंह
5. का० हरित ढिल्लो
6. का० कपिल कुमार
7. का० सतेन्द्र सिंह
8. का० मनोज कुमार

दो वारंटी गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना औरास पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 30.11.2022 को प्रभारी निरीक्षक श्री राज कुमार व उ0नि0 श्री आजाद यादव मय हमराह फोर्स द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1.सुनील पुत्र टीकाराम नि0 मिर्जापुर अजिगाँव थाना औरास उन्नाव व 2.सुनील कुमार पुत्र दुलारे नि0 ग्राम अलीपुर मिचलौला थाना औरास उन्नाव को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1.सुनील पुत्र टीकाराम नि0 मिर्जापुर अजिगाँव थाना औरास उन्नाव
- 2.सुनील कुमार पुत्र दुलारे नि0 ग्राम अलीपुर मिचलौला थाना औरास उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 01.प्र0नि0 श्री राजुकमार
- 02.उ0नि0 श्री आजाद यादव
- 03.हे0का0 योगेन्द्र कुमार
- 04.हे0का0 चन्द्र किशोर यादव
- 05.का0 अभिषेक दुबे

अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 30.11.2022 को उ0नि0 श्री विजय कुमार मय पुलिस बल के मुखबिर की सूचना पर ग्राम गुलरिहा से अभियुक्त अजीत पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम गुलरिहा थाना मौरावां जनपद उन्नाव को कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 588/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अजीत पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम गुलरिहा थाना मौरावां जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरण: अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुए।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री विजय कुमार
2. का0 धर्मेन्द्र सिंह
3. का0 अजय यादव